न्यायालयः न्यायिक मजिस्ट्रेट, कालपी, जनपद जालौन।
मुकदमा सं0— 609/2012
सरकार बनाम् नीतेश कुमार उर्फ नीतू उर्फ रोहित द्विवेदी

<u>आरोप</u>

मैं, दानवीर सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट, कालपी, आप अभियुक्तगण **नीतेश कुमार उर्फ नीतू उर्फ रोहित द्विवेदी** को एतद्द्वारा निम्न आरोपों से आरोपित करता हूँः—

1— यह कि दिनांक 27.05.2012 को समय लगभग 2 बजे रात्रि, स्थान सरेनी चौकी, न्यायमतपुर थाना सिरसाकलार, जिला जालौन में आपने वादी मुकदमा की पत्नी को यह जानते हुये कि वह दूसरे की पत्नी है, को आपराधिक आशय से बहला फुसला कर ले गये। इस प्रकार आपने भा0द0सं0 की धारा—498 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद् द्वारा मैं आपको निर्देश देता हूँ कि उक्त आरोपों में आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक—28.03.2019

(दानवीर सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, कालपी,
जनपद जालौन।

अभियुक्त को आरोपों को पढ़ कर सुनाया व समझाया गया, तो अभियुक्त ने आरोपों को स्वीकार किया।

दिनांक— 28.03.2019

(दानवीर सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, कालपी,
जनपद जालौन।